मध्यप्रदेश सरकार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा अन्तर्गत लोकपाल नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

विस्तृत निर्देश, सेवा शर्तें और आवेदन प्रारूप

पात्रता :

1. लोकपाल के कार्य के लिये प्रतिष्ठित एवं स्वच्छ छवि के व्यक्तियों का चयन किया जायेगा जो कि Public Administration, Law, Academics, Social work अथवा Management के क्षेत्र से आये हों और वर्णित क्षेत्र में कम–से–कम 10 वर्षों का कार्यानुभव हो। यह अनुभव उनके द्वारा दिये गये दस्तावेजों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
2. ग्रामीण अथवा शहरी पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के समुदायों तथा उनके संगठन के साथ कार्य का अनुभव एक बाध्यकारी योग्यता है।
3. लोकपाल के कार्य के लिये किसी ऐसे व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा जो किसी राजनैतिक दल का सदस्य हो या ऐसे किसी गैर राजनैतिक संगठन का सदस्य हो जिसपर सरकार द्वारा प्रतिबंद्ध लगाया जा चुका हो। प्रत्येक आवेदक को एतत् संबंधी घोषणा पत्र देना होगा।
4. लोकपाल का कार्य करने के लिये चयनित व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए ताकि वह गाँव–गाँव में भौतिक निरीक्षण और जाँच के लिये जा सके।

मेरिट पैनल :

1. प्रत्येक जिले के लिये लोकपाल के मेरिट पैनल का गठन किया जायेगा।
2. यह मेरिट पैनल 02 वर्ष के लिये वैध होगा।
3. इसके पश्चात एक–एक वर्ष के लिये इसकी वैधता अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
4. यदि किसी जिले में लोकपाल का पद रिक्त हो जाता है तो बिना चयन समिति की पुनः बैठक बुलाए मेरिट पैनल के अनुसार अगले व्यक्ति को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जायेगा।

चयन प्रक्रिया :

1. चयन समिति के सुझाव के आधार पर लोकपाल का चयन किया जायेगा।
2. समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम, निर्दिष्ट अपर मुख्य सचिव द्वारा की जायेगी।
3. नियुक्ति पत्र देने के पूर्व आम आदमी की प्रतिक्रिया/टिप्पणी के लिये नियुक्ति के पूर्व चयन समिति द्वारा बनाये गये Panel को राज्य तथा नोडल विभाग के आधिकारिक बेवसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है तथा प्राप्त टिप्पणियों

को चयन समिति द्वारा प्रकाशन के 30 दिवस का अवासन होनें के उपरान्त परीक्षण किया जायेगा। सभी टिप्पणियों और आपतियों का निराकरण 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।

4. चयन समिति एक Internal marking system विकसित करेगी ताकि आवेदकों की मेधा सूची तैयार की जा सके।
5. चयन समिति आवेदन में दी गयी जानकारी, आवेदकों के दस्तावेजों तथा साक्षात्कार (Interview) के आधार पर निश्चित किये गये Internal marking system के अनुसार आवेदकों को Marks देगी और आवेदकों की मेधा सूची तैयार करेगी।
6. किसी जिले के लोकपाल के चयन के लिये ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी जो उसी जिले के अथवा उसके पड़ोस के जिले के हों।

<u>कार्यकाल</u> :

1. लोकपाल का चयन शुरूआत में दो वर्ष के लिये किया जायेगा।
2. इसके पश्चात् अधिकतम दो बार एक–एक वर्ष के लिये लोकपाल की अवधि कार्य की गुणवत्ता के आधार पर बढ़ाई जा सकती है अगर लोकपाल की उम्र 68 वर्ष से कम हो।
3. अवधि बढ़ाने का निर्णय उनके कार्य का मूल्यांकन कर के लिया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक है तो लोकपाल का कार्यकाल एक–एक कर के अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है जब तक वह 68 वर्ष के न हो जायें।
4. लोकपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं की जायेगी।
5. असंतोषजनक कार्य एवं व्यवहार के आधार पर लोकपाल का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति के सुझाव पर समाप्त किया जा सकता है।

पारिश्रमिक :

1. लोकपाल को प्रति बैठक के लिये 2250/– (दो हजार दो सौ पचास) रूपये का भुगतान किया जायेगा। लोकपाल का कुल एक महीने का अधिकतम भुगतान 45000/– (पैतालीस हजार) रूपये तक ही हो सकता है।

3. यदि लोकपाल क्षेत्र भ्रमण करना चाहे तो जिला कार्यक्रम समन्वयक आवश्यक यातायात की सुविधा **उपलब्ध** करायेंगे**।**

4. लोकपाल को प्रत्येक कार्य दिवस के आधार पर भुगतान किया जायेगा। सभी कार्य दिवस का पूर्ण रूप से दस्तावेजीकरण किया जायेगा एवं उक्त दस्तावेज में प्रत्येक कार्य दिवस का पूर्ण विवरणी अंकित करना अनिवार्य होगा।

कार्यालय का स्थल :

1. मनरेगा लोकपाल का कार्यालय जिला मुख्यालय में होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

1. इच्छुक व्यक्ति दिये गये आवेदन प्रपत्र में आवश्यक सूचनाओं को भरकर **परिषद** कार्यालय के ई-मेल आईडी commissioner.nregs@gmail.com एवं est.nregs@gmail.com पर प्रेषित किये जा सकते है अथवा आयुक्त म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, 59 द्वितीय तल, नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल मध्यप्रदेश पिन-462011 में पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा व्यक्तिगत रूप से भी प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
2. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.04.2022 के अपराह्न 06.00बजे तक निर्धारित है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदक मध्यप्रदेश राज्य के किसी एक जिले के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उनकी उम्मीदवारी स्वत: समाप्त समझी जाएगी।
4. इन निर्देशों एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति शक्तियां एवं कर्तव्य) म.प्र. नियम 2021 में कोई भिन्नता होने की स्थिति में राजपत्र में प्रकाशित नियम अंतिम रूप से मान्य होंगे।

आयुक्त
म.प्र राज्य रोजगार गांरटी
परिषद, भोपाल

<table><tr><td>स्वंय द्वारा
सत्यापित फोटो</td></tr></table>

आवेदन पत्र

मनरेगा लोकपाल नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र

आवेदित जिले का नामः- ....

प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे के ऊपर पद एवं अनुभव का क्षेत्र का अनिवार्यतः उल्लेख करें।

1) आवेदक का नामः- ....

2) पिता/पति का नामः- ....

3) जन्मतिथि :- (अ) अंको में ....

(ब) शब्दों में ....

4) दिनांक 01/01/202**2** को आयुः- ....वर्ष................माह.................दिन

(आयु की पुष्टि हेतु हाई/हायर सेकण्डरी स्कूल के अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें)

5) लिंग (पुरूष/महिला):- ....

6) जातिः- ....

7) वर्गः- ....

(सामान्य/अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का उल्लेख करें)

8) वर्तमान पताः- ....

9) स्थायी पताः- ....

10) फोन/मोबाइल नम्बरः- ....(एस.टी.डी.कोड सहित)

11. ई-मेल एड्रेसः- ....

12) शैक्षिक योग्यताः- (कृपया समस्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि.वि. का नाम उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी

13) कितने वर्ष कार्य अनुभव है **?** (कार्य अनुभव का स्वंय प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)

14) क्रमांक 13 में उल्लेखित क्षेत्र में आपका कुल अनुभव कितने वर्ष का है**?**

....

15) अनुभव का विस्तृत विवरण:- (निम्नांकित सारणी में वर्षवार क्रमानुसार विवरण देवें)

क्र.	पद नाम	संस्था का नाम	सेवा अवधि वर्ष (....से...तक)	अनुभव क्षेत्र में उत्कृष्ठता	संलग्न दस्तावेजों का नाम

(Public Administration, Law, Academics, Social Work अथवा Management के क्षेत्र का न्यूनतम 10-वर्षों का वर्षवार अनुभव संबंधी विवरण एवं तत्संबंध में प्रमाणिक दस्तावेज, उत्कृष्ठ कार्य संबंधी क्रियाकलाप या कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशन, कोई रिपोर्ट छायाचित्र एवं अन्य ऐसा दस्तावेज, जो अनुभव से संबंधित हो, अनिवार्यत: संलग्न करें।)

16) क्या आप पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत लोकपाल के पद पर कार्य कर चुके है **?**

(अ) हॉ/नहीं :- ....

(ब) यदि हॉ तो लोकपाल के अनुभव से संबंधित जानकारी निम्नांकित सारणी में देंवे।

क्र	जिले का नाम जहॉ पर लोकपाल के पद पर कार्य किये है।	प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के जिले	कुल कितने वर्षों तक कार्य किये	कार्यकाल की अवधि (कब से कब तक)	जारी आदेश क्रमांक/दिनांक

(प्रमाण स्वरूप लोकपाल के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश की छायाप्रति संलग्न करें।)

17**)** मूल निवास का जिला:- ....(निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

18) क्या किसी राजनैतिक दल के सदस्य है **?** (हॉ/नहीं)................................

19) क्या किसी प्रतिबंधित संगठन/ संस्था/समिति के सदस्य है**,** क्या आपके ऊपर कोई अपराधिक प्रकरण चल रहा है **?** (हॉ/नहीं)................................

(नहीं की स्थिति में इस आशय का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करें)

20) क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने हेतु सक्षम हैं **?** (हां/नहीं) :- ....

(हॉ की स्थिति में किसी भी शासकीय चिकित्सक से स्वस्थता का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

21) अन्य जानकारी**,** जो आपको सामाजिक रूप से ख्यातिलब्ध **(Eminent)** बनाती हो।

....

(क्रमांक 21 में दी गई जानकारी की पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।)

22) आखिरी पद जो आपके द्वारा धारित किया गया हो......................

23) क्या आप किसी सोसाईटी/नेटवर्क/Professional body इत्यादि के सदस्य है ?
.... (हां/नहीं)

24) यदि हॉ, तो सोसाईटी/नेटवर्क/Professional body के नाम तथा संक्षिप्त विवरण दें।

....

25) क्या आप किसी **CSO/NGO** से जुडें हैं **?** (संबंधित प्रमाण संलग्न करें)
......................(हां/नहीं)

26) क्या अपने कभी मनरेगा से जुडा काम किया है **? :** .... (हां/नहीं)
(पूर्ण विवरणी संलग्न करें) ....

27) लोकपाल पद ग्रहण करने का कारण...

28) क्या आप मनरेगा **MIS** का उपयोग करना जानते हैं **?** .... (हां/नहीं)

29) क्या आप शहर से दूर के गॉव में भ्रमण करने और आवश्यकता पड़ने पर वहॉ रहने के लिये तैयार है **? :** .... हॉ/नहीं/ कह नहीं सकते

30) संलग्न प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की सूची:-

...
...
...

<u>घोषणा</u> :

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गयी सभी जानकारी सही है। मैं लोकपाल की नियुक्ति के लिये निकाले गये विज्ञापन और भारत सरकार के द्वारा लोकपाल के विषय में दिये गये दिशा–निर्देशों से अवगत हूँ।

स्थान : आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि :

मोबाइल संख्या :

आवेदक का पूरा नाम

<u>लोकपाल आवेदक का स्वघोषणा पत्र (नोटरी से सत्यापित)</u>

मैं ...., पिता ...., ग्राम ....

पोस्ट ...., जिला ...., राज्य ....,

पिन कोड .... एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल/संस्था एवं प्रतिबंधित संगठन से नहीं है, ना ही मैं उसका सदस्य हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि लोकपाल के पदावधि में भी किसी राजनीतिक दल/संस्था एवं प्रतिबंधित संगठन से कोई जुड़ाव नहीं रखूँगा। मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है ना ही मुझे किसी अपराधिक मामले में अभियुक्त ठहराया गया है।

उपरोक्त घोषणा में अगर किसी भी स्तर पर कोई त्रुटि या मेरे विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो मेरी पात्रता/उम्मीदवारी रद्द करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा तथा इसपर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आवेदन में दी गयी सारी जानकारियाँ पूर्णतः सही हैं एवं मै इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं यह उदघोषणा अपनी पूरी जानकारी एवं होशोहवास में कर रहा/रही हूँ।

हस्ताक्षर